कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या 676 /XXV–1(1–2)/2008 देहरादून : दिनांक 30 जनवरी, 2017

सेवा में, **URGENT**

समस्त जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017–मतदान दिवस पर अवकाश के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की विज्ञप्ति/विविध संख्या 37(1)/XXXI (15)G-74(सा0)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2017 जिसके माध्यम से निगोशिएबल इन्सटूमेन्ट एक्ट–1881 (एक्ट संख्या–26, 1881) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को प्रयोग में लाकर जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या–20/25–56–पव–1, दिनांक 08 जून 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल महोदय, **विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 हेतु मतदान दिवस दिनांक 15 फरवरी, 2017 को उक्त समस्त अविरल प्रक्रिया संस्थानों (उद्योगों) तथा समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं/अर्द्ध–निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों/मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत/मजदूरों के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है,** की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार मतदान दिवस पर समस्त अर्ह मतदाताओं हेतु मताधिकार के प्रयोग के लिए अवकाश के सम्बन्ध समस्त अधीनस्थ को निर्देशित करते हुए **मतदान दिवस पर अवकाश के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।**

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0संख्या 676 /XXV–1(1–2)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को उक्त वर्णित पत्र/अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

2. उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/नोडल अधिकारी मीडिया सेल निर्वाचन, को इस आशय प्रेषित कि उक्तानुसार सूचना को प्रेसनोट को समाचार पत्रों जनसाधारण की जानकारी हेतु निशुल्क प्रकाशित कराने तथा समाचार पत्रों की कटिंग अधोहस्तक्षरी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
संख्या–37/xxxi(15)G–74(सा0)/2017

दि० 23 जनवरी 2017

विज्ञप्ति/विविध

निगोशिएबल इन्सट्रूमेन्ट एक्ट, 1881(एक्ट संख्या–26,1881) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को प्रयोग में लाकर जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या–20/25–56–पव–1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल महोदय, **दिनाक 15 फरवरी,2017(शक् सम्बत्1938–39, दिन बुद्ववार)** को राज्य में होने वाले राज्य विधान सभा चुनाव के मतदान की तिथि के अवसर पर राज्य क्षेत्र में आने वाले समस्त अविरल प्रकिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्योलयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्व–निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों/मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत/मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी बैंकों/कोषागार/उपकोषाकार भी बन्द रहेंगें।

Seen/Addl CEO(M) WIS

27/1/17

(एस0रामास्वामी)
मुख्य सचिव।

संख्या–37(1)/xxxi(15)G–74(सा0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महानिबन्धक,मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा0 न्यायालय, आवश्यक समझे।
2–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
4–सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
5–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
6–स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7–सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
8–सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन विभाग, नई दिल्ली।
9–सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
10–समस्त राज्य सरकारों तथा संघ के राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव तथा रीजनल डाईरेक्टर इण्डियन मोटिरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलीपुर, कोलकत्ता।
11–मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।

Asstt. CEO

27/1/2017 (मुरुगेशन) ... व, निर्वाचन ... ड, देहरादून

S.O (R)

समस्त DEO को प्रेसनोट

27/1/17
Asst. CEO

कमशः.......2.....पर/

12—मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली/उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली।

13—प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, हाल—सचिवालय परिसर।

14—समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

15—निदेशक, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड़, नई दिल्ली—110001.

16—समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

17—पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून

18—महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को समाचार —पत्रों में प्रकाशित करने एवं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्रों में प्रसारण कराने हेतु।

19—संयुक्त निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड प्रदेश के असाधरण गजट में प्रकाशित कराकर उसकी 300प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

20—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

21— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या 661 /XXV–1(1–2)/2008 देहरादून : दिनांक 20 जनवरी, 2017

सेवा में, ELECTION-URGENT

समस्त जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–135 (ख) के अर्न्तगत मतदान दिवस पर अवकाश के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना संख्या 50(1) (1)/VIII/17-331(श्रम)/2002 दिनांक 18 जनवरी, 2017 के माध्यम से उत्तराखण्ड दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान, 1962 (अधिनियम संख्याः 26 वर्ष, 1962) की धारा–3 उप धारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, **सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों, को उत्तराखण्ड विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 हेतु मतदान दिन 15 फरवरी, 2017 (बुद्धवार) के लिये** उक्त अधिनियम की धारा–8 के उपबन्धों के प्रवर्तन में इस शर्त के अधीन रहते हुए लोकहित में, छूट प्रदान करते हैं, कि मतदान दिवस दिनांक 15 फरवरी, 2017 को यदि उस क्षेत्र में, जिनमें कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान स्थित हैं, ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के अन्तर्गत मनायी जाने वाली सामान्य छुट्टी का दिन नहीं हैं, तो मतदान का दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा। उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार मतदान दिवस पर समस्त अर्ह मतदाताओं हेतु मताधिकार के प्रयोग के लिए अवकाश के सम्बन्ध समस्त अधीनस्थ को निर्देशित करते हुए **मतदान दिवस पर अवकाश के संबंध में स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।**

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0संख्या 661 /XXV–1(1–2)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को उक्त वर्णित पत्र/अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

2. उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,/नोडल अधिकारी मीडिया सेल निर्वाचन, को इस आशय प्रेषित कि उक्तानुसार सूचना को प्रेसनोट को समाचार पत्रों जनसाधारण की जानकारी हेतु निशुल्क प्रकाशित कराने तथा समाचार पत्रों की कटिंग अधोहस्तक्षरी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Pr
OIC

उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग
संख्याः /VIII/17–331(श्रम)/2002
देहरादून, दिनाँकः 18 जनवरी, 2017

अधिसूचना

उत्तराखण्ड दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (अधिनियम संख्याः 26 वर्ष, 1962) की धारा–3 उप धारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों, को **उत्तराखण्ड विधान सभा के सामान्य निर्वाचन–2017 हेतु मतदान के दिन 15.02.2017 (बुद्धवार) के लिए** उक्त अधिनियम की धारा–8 के उपबंधों के प्रवर्तन से इस शर्त के अधीन रहते हुए लोकहित में, छूट प्रदान करते हैं, कि मतदान दिवस दिनांक **15.02.2017** को यदि उस क्षेत्र में, जिनमें कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान स्थित हैं, ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के अन्तर्गत मनायी जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं हैं, तो मतदान का दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः50(1) (1)/VIII/17–331(श्रम)/2002 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढवाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, कमायूँ, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधकारी, उत्तराखण्ड।
5. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित की वह कृपया अपने स्तर से उक्त दिशा–निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी कर दें।
6. अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर, हल्द्वानी, देहरादून उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, देहरादून को जनसाधारण की सूचना हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण राजपत्र मे प्रकाशित करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी॰एन॰पन्त)
उप सचिव।